ई-ऑफिस पर जारी शासनादेशों को ऑनलाइन कराने के फरमान

मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, कहा- सभी आदेश अपलोड कराएं

लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने शासनादेशों को ऑनलाइन जारी करने में लापरवाही का संज्ञान लिया है। उन्होंने शासन के सभी अधिकारियों को ई-ऑफिस पर जारी शासनादेशों को ऑनलाइन अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, शासन के 10 सितंबर 2013 व उसके बाद जारी अलग-अलग आदेशों के जरिए निर्देश दिए गए थे कि किसी भी शासनादेश को तभी वैध माना जाएगा जब वह पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध हो। मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया गया है कि शासनादेशों को ऑनलाइन जारी करने व इंटरनेट पर अपलोड करने की व्यवस्था का पालन प्रभावी ढंग से नहीं हो रहा है। इस पर मुख्य सचिव ने शासन के समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को इस संबंध में नए सिरे से निर्देश जारी किए हैं। इसमें उन्होंने ई-ऑफिस पर जारी शासनादेशों को पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो